

अनुदान मांग 2025-26 का विश्लेषण

शिक्षा

परिचय

भारत में केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।¹ केंद्र और राज्य सरकारें स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का संचालन करती हैं। 2023-24 में 53% नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ था जिनमें से 99% राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में था।² 2021-22 में कॉलेज नामांकन का 35% सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों में था।³

2013-14 में राज्यों और केंद्र द्वारा शिक्षा पर संयुक्त व्यय जीडीपी का 3.8% था।⁴ 2020-21 में इसके बढ़कर जीडीपी का 4.64% होने का अनुमान है।⁴ यह अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) द्वारा निर्धारित 6% के दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्य से कम है।⁵

शिक्षा मंत्रालय के दो विभाग हैं: (i) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, और (ii) उच्च शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान और पीएम-पोषण जैसी राज्य स्तर पर कार्यान्वित योजनाओं को वित्त पोषित करता है। यह केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों के लिए भी जिम्मेदार है। उच्च शिक्षा विभाग आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर और आईआईएम जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करता है। यह उच्च शिक्षा के रेगुलेटर्स यूजीसी और एआईसीटीई का भी वित्त पोषण करता है। यह उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देता है और उच्च शिक्षा में अनुसंधान का भी सहयोग करता है।

इस नोट में 2025-26 में मंत्रालय के आवंटन और शिक्षा क्षेत्र की मुख्य समस्याओं और मुद्दों की समीक्षा की गई है।

वित्तीय स्थिति

2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1,28,650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।⁶ इसमें 2024-25 के

बजट भाषण 2025-26 में घोषणाएं

- **आईआईटी:** 6,500 और विद्यार्थियों के दाखिले को आसान बनाने के लिए 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा।
- **पीएम रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ):** अगले पांच वर्षों में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ पीएमआरएफ के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

संशोधित अनुमान की तुलना में 13% की वृद्धि है। 2024-25 में मंत्रालय का खर्च बजट से 5% कम रहने का अनुमान है। इसका कारण स्कूली शिक्षा में 7% और उच्च शिक्षा में 2% कम खर्च होना है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 78,572 करोड़ रुपए (मंत्रालय के बजट का 61%) आवंटित किए गए हैं।⁶ यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 16% अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग को 50,078 करोड़ रुपए (मंत्रालय के बजट का 39%) आवंटित किए गए हैं।⁶ यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) नामक रिजर्व फंड में अतिरिक्त आवंटन के कारण 2023-24 में खर्च 2024-25 से अधिक था।⁷ एमयूएसके एक नॉन-लैप्सेबल फंड है जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग शिक्षा संबंधी योजनाओं के लिए किया जाता है।


तालिका 1: शिक्षा मंत्रालय का व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2023-24	2024-25	2024-25	2025-26	24-25
	वास्तविक	बअ	संअ	बअ	संअ से 25-26 बअ में परिवर्तन का %
स्कूली शिक्षा	67,972	73,008	67,571	78,572	16%
उच्च शिक्षा	55,393	47,620	46,482	50,078	8%
कुल	1,23,365	1,20,628	1,14,054	1,28,650	13%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। स्रोत: मांग संख्या 25 और 26, व्यय बजट 2025-26; पीआरएस।

2015-16 और 2025-26 के बीच मंत्रालय का व्यय 5% की वार्षिक दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान समस्त केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में मंत्रालय का व्यय कम हो गया है (रेखाचित्र 1)।

रेखाचित्र 1: केंद्रीय बजट में शिक्षा व्यय के हिस्से में गिरावट



नोट: BE- बजट अनुमान; RE- संशोधित अनुमान। स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

तालिका 2: शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत व्यय की मुख्य मदें (करोड़ रुपए में)

मद	2023-24 वास्तविक	2024-25 बअ	2024-25 संअ	24-25 बअ से 24-25 संअ में परिवर्तन का %	2025-26 बअ	24-25 संअ से 25-26 बअ में परिवर्तन का %	मंत्रालय के व्यय का हिस्सा
स्कूल शिक्षा (क) जिसमें	67,792	73,008	67,571	7%	78,572	16%	61%
समग्र शिक्षा	32,830	37,010	37,010	0%	41,250	11%	32%
स्वायत्त निकाय	14,332	15,639	14,683	-6%	15,431	5%	12%
पीएम पोषण	8,458	12,467	10,000	-20%	12,500	25%	10%
पीएम श्री	1,215	6,050	4,500	-26%	7,500	67%	6%
स्टार्स	699	1,250	850	-32%	1,250	47%	1%
उच्च शिक्षा (ख) जिसमें	55,393	47,620	46,482	-2%	50,078	8%	39%
केंद्रीय विश्वविद्यालय	12,112	15,928	15,998	0.4%	16,691	4%	13%
आईआईटी	10,200	10,325	10,467	1%	11,349	8%	9%
एनआईटी और आईआईएफएसटी	4,753	5,040	5,376	7%	5,687	6%	4%
यूजीसी और एआईसीटीई	6,676	2,900	3,152	9%	3,536	12%	3%
विद्यार्थी सहायता	1,398	1,908	1,282	-33%	2,160	68%	2%
पीएम-उषा	186	1,815	895	-51%	1,815	103%	1%
आईईएसईआर	1,447	1,540	1,480	-4%	1,353	-9%	1%
अन्य	30,692	8,756	8,361	-5%	8,127	-3%	9%
कुल (ए+बी)	1,23,365	1,20,628	1,14,054	-5%	1,28,650	13%	100%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। स्रोत: मांग संख्या 25 और 26, व्यय बजट 2025-26, केंद्रीय बजट; पीआरएस।

स्कूली शिक्षा: 2025-26 में विभाग का 52% आवंटन समग्र शिक्षा अभियान के लिए है।⁶ 2024-25 में पीएम-पोषण, पीएम-श्री और स्टार्स सहित कई योजनाओं पर खर्च बजट से कम होने का अनुमान है। इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए अगला भाग देखें।

उच्च शिक्षा: 2025-26 में विभाग का 56% आवंटन केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी को हस्तांतरण के लिए है (तालिका 2)।⁶ यूजीसी और एआईसीटीई के लिए आवंटन 2023-24 में खर्च की तुलना में 47% कम है।⁶ विद्यार्थी वित्तीय सहायता के लिए आवंटन 2024-25 में अनुमानित खर्च से 68% अधिक है। 2024-25 में विद्यार्थी वित्तीय सहायता पर खर्च बजट से 33% कम होने का अनुमान है। 2024-25 में पीएम-उषा के तहत खर्च बजट से 51% कम होने का अनुमान है। पीएम-उषा में उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) के इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता को उन्नत करने का प्रावधान है।

शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं

समग्र शिक्षा अभियान


2018 में समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। यह स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक प्रमुख योजना है। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एनईपी और शिक्षा का अधिकार एक्ट, 2009 को लागू करने के लिए राज्यों को सहयोग देना, (ii) शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को दूर करना और (iii) शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना।⁸ इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सर्व शिक्षा अभियान, (ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और (iii) शिक्षक शिक्षण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम।⁸

कार्यक्रम के तहत पहल में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) जरूरी स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, तथा उसका निर्माण, (ii) मानक स्थापित करना और शिक्षण और शिक्षण परिणामों को मापना और (iii) शिक्षक प्रशिक्षण।⁸ योजना के तहत 2026-27 तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और सहायता प्रदान करने हेतु निपुण भारत मिशन शुरू किया गया था।⁹ इसमें पढ़ने, लिखने और अंकगणित

के बुनियादी कौशल शामिल हैं।

योजना के तहत केंद्र अधिकांश राज्यों के साथ 60:40 के अनुपात में और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में धनराशि साझा करती है।⁸ 2018-19 और 2023-24 के बीच योजना के लिए औसतन 85% आवंटन का उपयोग किया गया था।

रेखाचित्र 2: 2018-19 और 2023-24 के बीच समग्र शिक्षा अभियान के लिए बजट आवंटन का 85% उपयोग



स्रोत: 2018-19 से 2025-26 तक केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)

पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन योजना को शामिल करते हुए) 2025-26 में मंत्रालय के व्यय का 10% होने का अनुमान है। मध्याह्न भोजन योजना ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं (I-VIII) के विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन की गारंटी दी।¹⁰ 2021-22 में शुरू की गई, पीएम पोषण योजना में इसके अलावा प्री-स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम के दिशानिर्देश मध्याह्न भोजन के लिए कैलोरी और पोषण संबंधी मानदंड निर्धारित करते हैं। इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11.8 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं।¹⁰ 2025-26 में इस योजना के लिए 12,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2024-25 में पीएम-पोषण के तहत अनुमानित खर्च बजट आवंटन से 25% कम है।

पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री)

इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों की पहचान कर उन्हें कई मानकों पर अपग्रेड किया जाना है।¹¹ वे: (i) एनईपी के सिद्धांतों को लागू करेंगे, (ii) स्थानीय उद्यमशीलता प्रणाली से जुड़ेंगे, और (iii) विद्यार्थियों को परामर्श और अत्याधुनिक तकनीक

तक पहुंच प्रदान करेंगे।¹² इस योजना को 18,128 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 2022-23 और 2027-28 के बीच लागू किया जाना है।¹¹ दिसंबर 2024 तक योजना के तहत 12,084 स्कूलों की पहचान की गई है।¹³ अप्रैल 2023 से दिसंबर 2024 के बीच केंद्र सरकार द्वारा इन स्कूलों को 2,562 करोड़ रुपए जारी किए गए जो 2023-24 और 2024-25 के लिए स्वीकृत केंद्रीय हिस्सेदारी से 64% कम है।¹³ 2025-26 में इस योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 67% अधिक है। 2023-24 में वास्तविक खर्च बजट से 70% कम था।


विचारणीय मुद्दे

स्कूली शिक्षा

प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक नामांकन लगभग हासिल, लेकिन बाद में इसमें कमी

एनईपी का लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर 100% नामांकन हासिल करना है।⁵ स्कूली शिक्षा के उच्च स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में गिरावट आती है (रेखाचित्र 3)।² जीईआर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित आयु वर्ग के व्यक्तियों के नामांकन को दर्शाता है। 2023-24 में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीईआर 56% था, जो प्राथमिक स्तर (93%) से काफी कम था।² बिहार (30%), असम (38%) और गुजरात (44%) जैसे राज्यों में उच्चतर माध्यमिक में नामांकन अपेक्षाकृत कम है।²

रेखाचित्र 3: शिक्षा के उच्च स्तर पर नामांकन में गिरावट (% में)



स्रोत: संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, 2023-24; पीआरएस।

भारतीय शिक्षा प्रणाली 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा निर्धारित करती है।⁵ संयुक्त राष्ट्र मानव विकास

सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.6 वर्ष थे।¹⁴ यह निम्नलिखित देशों की तुलना में कम था: (i) यूएसए (13.6), (ii) यूनाइटेड किंगडम (13.4), (iii) दक्षिण अफ्रीका (11.6), (iv) ब्राजील (8.3), (v) चीन (8.1) और (vi) बांग्लादेश (7.4)।¹⁴ तालिका 3 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार स्कूल छोड़ने के कारणों के लिंग-विभाजित आंकड़े दिए गए हैं।¹⁵

तालिका 3: 6-17 वर्ष की आयु के बच्चों के स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण (2019-21)

कारण	लड़के	लड़कियां
पढ़ने में रुचि नहीं	36%	21%
बहुत खर्चीली है	16%	21%
घर काम करना जरूरी है	10%	13%
बार-बार फेल होना	5%	4%
शादी	0.3%	7%

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21); पीआरएस।

2023-24 तक माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का जीईआर लड़कों के समान था।² विश्व बैंक (2018) का एक अध्ययन माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के सार्वभौमिक नामांकन से उत्पन्न होने वाले कई सामाजिक और आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालता है।¹⁶ इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) महिलाओं की कमाई दोगुनी होना, (ii) कम प्रजनन दर, (iii) बाल विवाह का लगभग उन्मूलन, और (iv) बाल विकास और मृत्यु दर में कमी।¹⁶

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार एक्ट, 2009 (आरटीई एक्ट, 2009), छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा (कक्षा आठ तक) को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक न्यायसंगत ढांचा प्रदान करता है।¹⁷ समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है।⁸ यह अभियान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान करता है: (i) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, (ii) माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करना, और (iii) शिक्षक प्रशिक्षण।⁸

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का कवरेज

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) आठ वर्ष की आयु तक के बच्चे की शिक्षा और

विकास को कवर करती है।¹⁸ एनईपी (2020) का लक्ष्य 2030 तक तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के बीच ईसीसीई को सार्वभौमिक बनाना है।⁵ इसके लिए नीति का लक्ष्य आंगनवाड़ियों और प्री-स्कूलों का विस्तार और उन्हें मजबूत करना है।⁵ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा ईसीसीई का एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चे हैं। वर्तमान में, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्रों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। हालांकि औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली (पूर्व-एनईपी) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर छह वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करती है।⁵

एनईपी के अनुसार, पांच वर्ष की आयु तक ईसीसीई की अनुपस्थिति पहली कक्षा में शिक्षण परिणामों को प्रभावित करती है।⁵ 2023-24 में पहली कक्षा के 73% विद्यार्थियों ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी।¹⁹ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच वाले बच्चों की कम हिस्सेदारी वाले राज्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राजस्थान (44%), (ii) उत्तर प्रदेश (59%), और (iii) बिहार (60%) (राज्य-वार विवरण के लिए अनुलग्नक में तालिका 8 देखें)।¹⁹


स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2023) तीन से आठ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षण परिणामों को स्पष्ट करती है।²⁰ इसमें विभिन्न गतिविधियों के जरिए सिखाई जाने वाली बुनियादी संख्यात्मक और भाषा शिक्षा शामिल है।²⁰

ऐसे निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है, जो अधिक महंगे हैं

स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर कार्य समूह (2012) ने स्कूल की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।²¹ कई स्तरों पर निजी भागीदारी हो सकती है, जैसे सार्वजनिक स्कूलों में सुविधाओं का प्रबंधन, सार्वजनिक स्कूल चलाना या पूरी तरह से निजी स्कूलों का निर्माण और प्रबंधन।²¹

2023-24 तक सरकारी स्कूलों में देश के सभी स्कूलों का 69% और सभी स्कूल नामांकन का 53% हिस्सा था (रेखाचित्र 4 देखें)।^{2,22} 2012-13 के बाद से दोनों मापदंडों पर उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।²

रेखाचित्र 4: कुल स्कूलों और नामांकनों में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की हिस्सेदारी बढ़ी



स्रोत: संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2012-13 और 2023-24; पीआरएस।

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल में दाखिला लेने की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के अनुसार, 2017-18 तक एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल में प्राथमिक शिक्षा की लागत सरकारी स्कूल की तुलना में 12 गुना थी।²³ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2017-18) के अनुसार, निजी शैक्षणिक संस्थान को प्राथमिकता देने के कारणों पर नीचे चर्चा की गई है।²³

तालिका 4: निजी संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के कारण (% में) (2017-18 तक)

कारण	हिस्सा
सार्वजनिक संस्थान की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं	34%
पास में स्थित निजी संस्थान	27%
शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करता है	17%
परिवहन और छात्रावास जैसी सुविधाएं प्रदान करता है	14%


स्रोत: "भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग", राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 2017-18; पीआरएस।

एक-तिहाई से अधिक स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी नामांकित

2023-24 तक भारत के सभी स्कूलों में से 35% में 50 या उससे कम विद्यार्थी नामांकित थे।² नीति आयोग (2021) के अनुसार, भारत में 36% सरकारी स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी थे और लगभग 10% में 20 से कम थे।²⁴ इन स्कूलों में सिर्फ एक या दो शिक्षक थे।²⁴

छोटे स्कूलों, जिनमें आमतौर पर बहुत कम शिक्षक होते हैं, के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। एनईपी (2020) के अनुसार, इससे शिक्षकों को कई कक्षाओं और विषयों को पढ़ाना पड़ता है, जिसमें वे विषय भी शामिल हैं जिनमें वे पर्याप्त रूप से क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं।⁵ इसके अलावा, शिक्षकों को अपना काफी समय प्रशासनिक कार्यों में खर्च करना पड़ता है जो शिक्षण के घंटों को प्रभावित करता है।²⁴ एनईपी में कहा गया है कि छोटे और अलग-थलग स्कूलों को प्रबंधित करना मुश्किल है।⁵ उनके पास प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है।⁵

रेखाचित्र 5: भारत के 35% स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी हैं



स्रोत: संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2023-24; पीआरएस।

एनईपी एक माध्यमिक विद्यालय और निचली कक्षाओं के लिए कई स्कूलों वाले स्कूल परिसर बनाने का सुझाव देती है।⁵ प्रत्येक परिसर में 5-10 किमी के दायरे में आने वाले स्कूल शामिल होंगे। यह एक एकल इकाई के रूप में कार्य करेगा, जो अपने घटक स्कूलों को पर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षकों को एकत्रित करने की अनुमति देगा।⁵ जुलाई 2024 तक केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य के एक जिले में एक ऐसा कार्यक्रम लागू किया है जिसके तहत स्कूलों को परिसरों में शामिल करने की व्यावहारिकता का आकलन किया जा रहा है।²⁵

राजस्थान में स्कूलों का एकीकरण

स्कूल एकीकरण में कई छोटे स्कूलों को बंद करना और उनके विद्यार्थियों को एक स्कूल में जोड़ना शामिल है। 2011-12 से 2017-18 तक राजस्थान ने राज्य भर में कई छोटे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को एकजुट किया।²⁶ इन स्कूलों में नामांकन कम था और आमतौर पर एक ही शिक्षक था।²⁶ उनमें से ज्यादातर केवल कक्षा पांच तक ही पढ़ाते थे, और इस प्रकार विद्यार्थियों को स्कूल बदलना पड़ता था जिससे ड्रॉपआउट बढ़ता था।²⁶ एकीकरण के साथ-साथ राज्य ने 12वीं तक की कक्षा वाले स्कूलों के निर्माण के लिए योजनाओं को भी वित्त पोषित किया।²⁶

नीति आयोग (2021) के अनुसार, एकीकरण के बाद राजस्थान की ट्रांजिशन दर कम हो गई और प्रारंभिक स्तर पर इसके शिक्षण परिणाम अधिकांश राज्यों की तुलना में अधिक थे।²⁶ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों ने भी स्कूल एकीकरण लागू किया है।²⁷ एनईपी (2020) में कहा गया है कि स्कूल एकीकरण से स्कूलों तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।⁵ इसमें कहा गया है कि पहुंच को ध्यान में रखते हुए, केवल कुछ स्कूलों का एकीकरण किया जा सकता है, जो छोटे स्कूलों की समस्या का महत्वपूर्ण समाधान नहीं कर सकता है।⁵

विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की उपलब्धता

एनईपी 2020 ने 30:1 (30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक) के विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (पीटीआर) का सुझाव दिया था।⁵ 2023-24 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पीटीआर इस प्रकार हैं: (i) 21:1 (प्राथमिक), (ii) 18:1 (उच्च प्राथमिक), (iii) 16:1 (माध्यमिक), और (iv) 24:1 (उच्चतर माध्यमिक)। हालांकि कुछ राज्य इस लक्ष्य से पीछे रह गए हैं (अनुलग्नक में तालिका 9)।²

2022-23 तक कक्षा 1-8 के लिए 16% शिक्षण पद रिक्त थे।²⁸ रिक्तियां इन राज्यों में काफी अधिक थीं: (i) झारखंड (40%), (ii) बिहार (32%), (iii) मिजोरम (30%), और (iv) त्रिपुरा (26%)।²⁸ शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने राज्यों द्वारा शिक्षक भर्ती में तेजी लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, और

भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एक स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्ड बनाने का सुझाव दिया।²⁹

शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी मुद्दे

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्दिष्ट करती है।³⁰ इनमें उच्च माध्यमिक स्तर पास करने (पूर्व-प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए) से लेकर बी.ए.एड. या बी.एससी.एड. (उच्च माध्यमिक स्तर के लिए) के साथ पोस्ट-ग्रेजुएशन करना तक शामिल हैं।³⁰ 2023-24 तक प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक लगभग 12% शिक्षकों के पास पेशेवर शिक्षण योग्यता का अभाव था।² शिक्षा मंत्रालय (2023-24) के अनुसार, पूर्व-प्राथमिक स्तर पर 48% शिक्षक अयोग्य थे।²

यूनेस्को के अनुसार, 2020 तक 92% शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान निजी स्टैंड-अलोन संस्थान थे जो एकमात्र पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षक शिक्षा प्रदान करते थे।³¹ जस्टिस वर्मा आयोग (2012) ने कहा था कि ऐसे संस्थान खराब गुणवत्ता वाले थे।³² आयोग ने कहा था कि इन संस्थानों को विश्वविद्यालयों के भीतर स्थापित करने से वे उच्च गुणवत्ता मानक पर टिके रहेंगे, और उन्हें बेहतर संसाधनों तक पहुंच मिलेगी।³² एनईपी (2020) का लक्ष्य 2030 तक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एकीकृत करना है।⁵

एनईपी (2020) ने बी.एड. पाठ्यक्रमों को शिक्षण पद्धतियों के साथ अपडेट करने का भी सुझाव दिया है जो अधिक शिक्षार्थी केंद्रित है और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शामिल करते हैं।⁵ शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया है कि 2021 तक शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किया जाए।⁵ यह फ्रेमवर्क अभी तक जारी नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के सुझावों के अनुरूप, शिक्षकों के सेवा-पूर्व प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना की गई थी।³³ जुलाई 2023 तक देश के 748 जिलों में से 672 में डीआईईटी स्वीकृत थे।³³ इनमें से 613 डीआईईटी (91%) चालू हैं।³³ 3 जुलाई 2023 तक

डीआईईटी में प्रशिक्षकों के लगभग 52% पद खाली थे।³³ शिक्षा मंत्रालय (2023) के अनुसार, डीआईईटी में पुस्तकालय, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाएं भी सीमित हैं।³³


स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) को 2019 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया था। यह शिक्षक प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करता है और शिक्षा में शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और अन्य संसाधन व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है। यह उन्हें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता और योग्यता आधारित शिक्षा प्राप्त करने के लिए नवीनतम शिक्षाशास्त्र के साथ प्रशिक्षित करता है। फरवरी 2025 तक, लक्षित स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों में से 44% को निष्ठा के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) को 2019 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया था।³⁴ यह शिक्षक प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करता है और शिक्षा में शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और अन्य रिसोर्स पर्सन्स की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है। यह उन्हें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता और योग्यता आधारित शिक्षा प्राप्त करने के लिए नवीनतम शिक्षाशास्त्र के साथ प्रशिक्षित करता है। फरवरी 2025 तक लक्षित स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों में से 44% को निष्ठा के तहत प्रशिक्षित किया गया है।³⁵

शिक्षण परिणामों की चुनौतियां

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) ग्रेड 3, 5, 8 और 10 में विद्यार्थियों की दक्षता को मापता है।³⁶ उनकी दक्षता भाषा, गणित और विज्ञान में मापी जाती है। शिक्षण की दक्षता उच्च स्तर पर कम हो जाती है (रेखाचित्र 6)।³⁶ 2021 में विषयों में दक्षता कक्षा 3 में 62% से गिरकर कक्षा 10 में 48% हो गई। गणित में यह कक्षा 3 में 61% से गिरकर कक्षा 10 में 44% हो गई।³⁶

रेखाचित्र 6: शिक्षण के उच्च स्तर पर एनएएस स्कोर में गिरावट (% में) (2021 तक)



स्रोत: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021; पीआरएस।

2017 और 2021 के बीच औसत दक्षता में गिरावट आई थी (क्रमशः 58% और 54%)^{36,37} 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से शिक्षण परिणाम प्रभावित हुए।

कुछ अध्ययनों से पता चला कि स्कूलों में व्यापक शिक्षण अंतराल आया है।²⁴ नीति आयोग (2021) ने 2017 के एक अध्ययन का हवाला दिया जिसके अनुसार, कक्षा सात में पढ़ने वाले आधे से भी कम विद्यार्थी कक्षा दो के संख्यात्मक या बुद्धि कौशल के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।²⁴

निपुण भारत

2021 में 2026-27 तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए निपुण भारत मिशन शुरू किया गया था।³⁸ इसमें बुनियादी अंकगणित में दक्षता हासिल करना और कक्षा तीन तक की रीडिंग शामिल है।³⁸ कार्यक्रम सीखने के परिणामों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, शिक्षण और शिक्षण सामग्री डिजाइन करता है, और शिक्षक प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर को वित्त पोषित करता है।³⁹ परियोजना लागत केंद्र और राज्यों द्वारा साझा की जाती है।⁴⁰ 2021-22 और 2023-24 के बीच 7,178 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी गई, जिसमें से 5,007 करोड़ रुपए (70%) खर्च किए गए।⁴⁰ 2022 में मंत्रालय द्वारा किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, कक्षा तीन तक के 52% विद्यार्थी अंकगणित में दक्षता के न्यूनतम


मानकों को पूरा करते थे और 54% अंग्रेजी के न्यूनतम मानकों को पूरा करते थे।⁴¹

उच्च शिक्षा

भारत में उच्च शिक्षा में कम कवरेज

पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि हुई है (रेखाचित्र 7)।³ एनईपी (2020) में 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।⁵ उच्च शिक्षा में नामांकन में व्यापक अंतर-राज्य असमानताएं मौजूद हैं। उच्च शिक्षा में जीईआर तमिलनाडु (47%) और केरल (41%) जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक था।³ जिन राज्यों में जीईआर कम था, वे इस प्रकार हैं: (i) बिहार (17%), (ii) झारखंड (19%), और (iii) उत्तर प्रदेश (24%) (राज्यवार विवरण के लिए अनुलग्नक में तालिका 10 देखें)।³

रेखाचित्र 7: सामाजिक समूहों के बीच उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (% में)



स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22; पीआरएस।


अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, उच्च शिक्षा से अधिक कमाई की संभावना बढ़ जाती है।⁴² उसका कहना है कि भारत में स्नातक डिग्री वाले व्यक्तियों ने 2022 तक माध्यमिक शिक्षा वाले लोगों की तुलना में छह गुना अधिक कमाया।⁴²

निजी कॉलेजों में नामांकन अधिक, जो अधिक महंगे

उच्च शिक्षा में विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक में दाखिला लेते हैं: (i) कॉलेज, (ii) विश्वविद्यालय विभाग, या (iii) स्टैंड-अलोन संस्थान।³ 2021-22 तक उच्च शिक्षा में 73% नामांकन कॉलेजों में करवाया जाता है।³ 2021-22 में सभी कॉलेजों में से 78% निजी तौर पर चलाए जा रहे थे और 66% कॉलेज नामांकन निजी तौर पर संचालित कॉलेजों में हुए थे (रेखाचित्र 8)।³


एनएसएस (2017-18) के अनुसार, एक निजी गैर-सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) में अध्ययन की लागत एक सरकारी संस्थान (रेखाचित्र 9) की तुलना में लगभग दोगुनी थी।²³ चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रमों में यह तीन गुना अधिक थी।²³ एनईपी (2020) ने शिक्षण संस्थानों को गैर-लाभकारी संगठन के मानकों के अनुरूप स्वीकृत करने का सुझाव दिया है।⁵ इसमें एचईआई द्वारा फीस या किसी भी शुल्क का सार्वजनिक खुलासा, उसमें मनमानी वृद्धि पर रोक, फीस निर्धारित करने का पारदर्शी तरीका और अधिकतम सीमा तय करना आदि शामिल है।⁵

रेखाचित्र 8: कुल कॉलेजों में 78% निजी कॉलेज और उनमें नामांकन 66% (2021-22)



स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22; पीआरएस।

रेखाचित्र 9: प्रबंधन के लिहाज से उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन पर वार्षिक व्यय (रुपए में)



स्रोत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग, एनएसएस 75वां दौर (2017-18); पीआरएस।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2009) ने सुझाव दिया था कि एचईआई को फीस तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को पर्याप्त शुल्क छूट

और स्कॉलरशिप दी जाए।⁴³ ओईसीडी देशों में सरकारें स्कॉलरशिप और ऋण के माध्यम से निजी एचईआई में शिक्षा की लागत का लगभग 34% वहन करती हैं।⁴⁴ यूएसए में 33% हिस्सा निजी व्यवसायों या संगठनों द्वारा चंदे के माध्यम से वहन किया जाता है।⁴⁴


स्कॉलरशिप के लिए आवंटन

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा था कि मौजूदा छात्रवृत्तियां उच्च शिक्षा की पूरी लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।⁴⁵

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभाग विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ब्याज सबसिडी, (ii) स्कॉलरशिप और (iii) डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप। स्कॉलरशिप में निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है: (i) जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए 30,000 रुपए से दो लाख रुपए, और (ii) भारत के अन्य हिस्सों के विद्यार्थियों के लिए 12,000 से 20,000 रुपए।⁴⁶ 2025-26 में वित्तीय सहायता के लिए 2,160 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 68% अधिक है। ब्याज सबसिडी वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2017-18 और 2023-24 के बीच वित्तीय सहायता पर 94% खर्च, दरअसल ब्याज सबसिडी रहा है। 2023-24 से स्कॉलरशिप और ब्याज सबसिडी पर खर्च को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) में मिला दिया गया है।

डॉक्टरल फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स के लिए होती है, जबकि पीएम-यूएसपी के तहत स्कॉलरशिप और ब्याज सबसिडी बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए होती है।⁴⁷ डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप को छोड़कर, मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता पर खर्च पिछले कुछ वर्षों में कम हो गया है (रेखाचित्र 10)।

रेखाचित्र 10: स्कॉलरशिप और ब्याज सबसिडी पर मंत्रालय के खर्च में गिरावट



नोट: RE संशोधित अनुमान है, BE बजट अनुमान है। स्रोत: 2019-20 से 2025-26 तक के केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

पीएम-यूपीएसपी में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को हर वर्ष 82,000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं।⁴⁸ शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने मंत्रालय को योजनाओं की राशि और कवरेज को संशोधित करने और स्कॉलरशिप बढ़ाने का सुझाव दिया है।⁴⁵

पीएम-विद्यालक्ष्मी: नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।⁴⁹ यह योजना शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर बकाया राशि के 75% की गारंटी देगी। इसमें 860 संस्थानों के 22 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा।⁴⁹ यह योजना सालाना एक लाख विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज सबसिडी भी देगी।⁴⁹

कॉलेजों को सीमित मान्यता

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। इसकी ग्रेडिंग पाठ्यक्रम, शिक्षण गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधान जैसे मानदंडों पर आधारित है।⁵⁰ जनवरी 2025 तक एनएएसी ने सभी कॉलेजों में से लगभग 40% को मान्यता दे दी थी।⁵¹ मान्यता प्राप्त संस्थानों में से, 20% को ए ग्रेड (तालिका 5) प्राप्त हुआ।⁵²

नीति आयोग (2025) का कहना है कि कई कॉलेज मान्यता प्राप्त न करना, चुनते हैं, चूंकि मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया की लागत बहुत अधिक है।⁵³ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2009) ने सुझाव दिया था कि

कई एजेंसियों को लाइसेंसिंग के माध्यम से मान्यता प्रक्रिया में शामिल किया जाए।⁴³ आयोग ने सुझाव दिया था कि इन संस्थाओं को उच्च शिक्षा के रेगुलेटर्स द्वारा निर्धारित समान मापदंडों का पालन करना चाहिए।⁴³

तालिका 5: 20% मान्यता प्राप्त कॉलेजों को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है (जनवरी 2025 तक)

संस्थान	ए	बी	सी
विश्वविद्यालय	55%	41%	4%
कॉलेज	20%	67%	13%

स्रोत: एक्सेलेंशन स्टैटिस्टिक्स, एनएएसी; पीआरएस।


भारत में कॉलेज आमतौर पर किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं।⁴³ विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और संबद्ध कॉलेजों में नामांकित विद्यार्थियों को डिग्री देते हैं।⁴³ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2009) ने कहा था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में कॉलेजों को संबद्ध कर रहा है, जिससे पाठ्यक्रम, शिक्षण और बुनियादी ढांचे के न्यूनतम मानकों को लागू करना मुश्किल हो गया है।⁴³ नीति आयोग (2025) ने कहा है कि संबद्ध कॉलेजों को विश्वविद्यालय से नए पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लगता है।⁵³ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे: (i) बेहतर प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को संबद्धता प्रणाली की जगह स्वायत्तता देना, और (ii) बाकी को व्यावसायिक कॉलेजों का रूप देना और एक केंद्रीय बोर्ड के साथ संबद्ध करना।⁴³

एनईपी का लक्ष्य 2035 तक संबद्धता प्रणाली को खत्म करना है।⁵ इसमें यह भी कल्पना की गई है कि 2040 तक, प्रत्येक कॉलेज एक बड़ा बहु-विषयक संस्थान, या एचईआई के समूह का हिस्सा बन जाएगा, और हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।⁵ 2020 तक सभी कॉलेजों में से 36% ने एक ही पाठ्यक्रम की पेशकश की।⁵⁴ 2021-22 तक, 19% कॉलेजों में 1,000 से अधिक विद्यार्थी थे।³

2013-14 में एचईआई के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और समग्र गुणवत्ता के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) शुरू किया गया था।⁵⁵ इसे दो चरणों- 2012-2017 (रूसा 1.0) और 2017-2022 (रूसा 2.0) के तहत लागू किया जाना था।⁵⁶ 2024-

25 में रूसा का नाम बदलकर पीएम-उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) कर दिया गया। इस योजना का विस्तार किया गया ताकि ये एचईआई को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए वित्त पोषित कर सकें और सिंगल स्ट्रीम एचईआई को बहु-विषयक संस्थान में शामिल किया जा सके।⁵⁷ 2025-26 में इस योजना के लिए 1,815 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूसा के तहत उपयोग में कमी आई है (रेखाचित्र 11 देखें)। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि इसका कारण राज्यों द्वारा धन का कम उपयोग और उनसे कम परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होना है।⁵⁶

रेखाचित्र 11: रूसा के तहत आवंटित धनराशि को पूरा उपयोग नहीं



नोट: शुद्ध वसूलियों के कारण 2021-22 में आंकड़े नेगेटिव हैं। 2024-25 के संशोधित अनुमानों को वास्तविक के रूप में गया है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

उच्च शिक्षा का रेगुलेशन

भारत में एचईआई का रेगुलेशन अलग-अलग निकायों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा क्रमशः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट होती है।⁴³ यूजीसी सामान्य विषयों में शिक्षण को रेगुलेट करता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2009) और यशपाल समिति (2009) ने कहा था कि यह संरचना शिक्षण और गुणवत्ता के असंगत मानकों का निर्माण करती है।^{43,58} उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए डिग्री प्रदान करने के मानदंड और मान्यता और शिक्षण मानक निर्धारित करने के लिए एक रेगुलेटर स्थापित करने का सुझाव दिया था।^{43,58} एनईपी (2020) ने भी सुझाव दिया था कि देश में उच्च शिक्षा के लिए एक रेगुलेटर बनाया जाए जिसका नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग हो।⁵ 2018 में उच्च शिक्षा का एक रेगुलेटर स्थापित

करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया था।⁵⁹

विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात सुझाए गए स्तर से अधिक

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) के अनुसार, उच्च शिक्षा में आदर्श पीटीआर 15:1 (15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक) है।⁶⁰ 2021-22 तक नियमित माध्यम में उच्च शिक्षा में प्रचलित पीटीआर 23:1 है।³ नियमित माध्यम में क्लासरूम में पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें शिक्षक से विद्यार्थियों का सीधा संपर्क होता है।³ पीटीआर 2017-18 से बेहतर हुआ है, जब यह 25:1 था।³ हालांकि इस स्तर पर राज्यों में काफी भिन्नताएं हैं (अनुलग्नक में तालिका 11 देखें)। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पीटीआर क्रमशः 14:1, 15:1 और 15:1 है।³ हालांकि बिहार (64:1), झारखंड (54:1) और उत्तर प्रदेश (35:1) लक्ष्य से काफी पीछे हैं।³

मार्च 2023 तक केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में एक तिहाई से अधिक पद खाली थे (तालिका 6)।⁵⁶ भर्ती मानदंडों के अनुसार, शिक्षण पदों का एक हिस्सा निम्नलिखित के लिए आरक्षित होना चाहिए: (i) एससी (सभी पदों का 15%), (ii) एसटी (7.5%) और (iii) पिछड़ा वर्ग (27%)।⁶¹ तालिका 6 में सूचीबद्ध संस्थानों में मार्च 2023 तक एससी, एसटी और ओबीसी फैकेल्टी सभी पदों में क्रमशः 9%, 3% और 14% थी।⁵⁶

तालिका 6: मार्च 2023 तक केंद्र द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में एक तिहाई पद रिक्त


संस्थान	स्वीकृत	पूरित	रिक्त	रिक्त (% में)
केंद्रीय विश्वविद्यालय	18,956	12,776	6,180	33%
आईआईटी	11,292	6,712	4,415	39%
आईआईआईटी	1,315	599	705	54%
एनआईटी	7,483	5,277	2,206	29%
आईआईएम	1,570	1,086	484	31%
आईआईएसईआर	735	683	52	7%
कुल	41,351	27,133	14,042	34%

स्रोत: 348वीं रिपोर्ट, शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी, मार्च 2023; पीआरएस।

उच्च शिक्षा वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) किसी निर्धारित आबादी के हिस्से के रूप में रोजगार में लगे लोगों या रोजगार की तलाश कर रहे व्यक्तियों को मापती है।⁴² विश्व बैंक के अनुसार, 2023 तक उच्च शिक्षा वाले 65% भारतीय श्रम बल का हिस्सा थे।⁶² यह कई देशों से कम था जैसे: (i) यूएसए (72%), (ii) दक्षिण कोरिया (74%), (iii) दक्षिण अफ्रीका (81%), और (iv) ब्राजील (82%)।⁶² भारत में कम एलएफपीआर महिलाओं की कम भागीदारी के कारण हो सकता है। 2023 तक भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का एलएफपीआर कई देशों की तुलना में कम था (रेखाचित्र 12)।⁶²

रेखाचित्र 12: 2023 में उच्च शिक्षा प्राप्त 39% भारतीय महिलाओं ने श्रम बल में भाग लिया




स्रोत: "शिक्षा के स्तर के अनुसार श्रम बल (% में)", जेंडर डेटा पोर्टल, विश्व बैंक; पीआरएस।

भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर अपेक्षाकृत अधिक है (रेखाचित्र 13)।⁴² बेरोजगारी दर उन व्यक्तियों की हिस्सेदारी को मापती है जो काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती।⁴² आईएलओ (2024) के अनुसार युवा स्नातकों और स्नातकोत्तरों के बीच बेरोजगारी 2000 के बाद से बढ़ी है।⁴²

आईएलओ (2024) के अनुसार, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के बीच उच्च बेरोजगारी किसी व्यक्ति के पास मौजूद कौशल और नौकरी की मांग वाले कौशल के बीच बेमेल के कारण हो सकती है।⁴² ऐसा बेमेल या तो उच्च कुशल नौकरियों की अनुपलब्धता, या कार्यबल में कौशल की कमी के कारण उत्पन्न हो सकता है।⁴²

रेखाचित्र 13: 2000 और 2022 के बीच युवा स्नातकों और स्नातकोत्तरों के बीच बेरोजगारी बढ़ी



स्रोत: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (2024); पीआरएस।

आईएलओ (2024) के अनुसार, भारत के 53% नियोजित स्नातकों ने कम कुशल नौकरियों में काम किया है।⁴² वाणिज्य विभाग द्वारा उद्धृत एक निजी अध्ययन के अनुसार, 2024 तक प्री-फाइनल और फाइनल वर्ष के 49% विद्यार्थी बेरोजगार थे।⁶³ अध्ययन के अनुसार, सबसे कम रोजगार क्षमता वाले पाठ्यक्रमों में निम्न शामिल हैं: (i) बी.एससी. (51%), (ii) बी.कॉम (48%), और (iii) बी.ए. (47%)।⁶³ 2021-22 में 48% विद्यार्थियों ने बी.ए. और बी.एस.सी. पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था।³

पीएम इंटरशिप योजना: रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एनईपी में सुझाव दिया गया है कि सभी एचईआई अपने विद्यार्थियों को इंटरशिप के अवसर प्रदान करें।⁵ जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटरशिप के अवसर प्रदान करने की योजना की घोषणा की।^{64,65} 2024-25 में योजना ने 1.25 लाख इंटरशिप का लक्ष्य रखा।⁶⁵ जनवरी 2025 तक भागीदार कंपनियों द्वारा 1.27 लाख इंटरशिप के अवसर अधिसूचित किए गए हैं।⁶⁶ उन्होंने 60,866 आवेदकों को प्रस्ताव दिया है, जिनमें से 46% ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।⁶⁶

व्यावसायिक शिक्षा का निम्न कवरेज


व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य शारीरिक या अर्ध-कुशल भूमिकाओं में प्रशिक्षण से है। पीएलएफएस (2023-24) के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के 26% भारतीयों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था।⁶⁷ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (2020) का कहना है कि जापान (80%), यूएसए (52%), यूके (68%) जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले युवाओं की हिस्सेदारी काफी अधिक है।⁶⁸ श्रम मंत्रालय (2023) के अनुसार, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्यूफैक्चरिंग और धातु एवं मशीनरी वर्क्स जैसे क्षेत्रों में अर्ध-कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है।⁶⁹

एनईपी (2020) का लक्ष्य 2035 तक सभी विद्यार्थियों में से कम से कम 50% को स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।⁵ 2023-24 तक 18,610 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों ने राष्ट्रीय मानकों (6%) के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश की।¹⁹

अनुसंधान में एचईआई की सीमित भूमिका

2020-21 में भारत ने अपने जीडीपी का 0.64% अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर खर्च किया।⁷⁰ यह दक्षिण कोरिया (जीडीपी का 4.8%), यूएसए (3.5%), और जापान (3.3%) जैसे कई देशों के अनुसंधान व्यय से कम था।⁷⁰ 2009-10 के बाद से आरएंडडी पर भारत का खर्च कम हो गया है (जीडीपी का 0.82%)।⁷⁰ आरएंडडी पर भारत के खर्च में विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी 9% थी।⁷⁰ आर्थिक सर्वेक्षण (2017-18) में कहा गया था कि कई देशों में विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि भारत में वे बड़े पैमाने पर शिक्षण तक ही सीमित हैं।⁷¹

रेखाचित्र 14: चुनीदा देशों में अनुसंधान व्यय में विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी (% में)



स्रोत: अनुसंधान और विकास सांख्यिकी एक नज़र में-2022-23, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पीआरएस।

नीति आयोग (2024) का कहना है कि अनुसंधान के नवाचार और व्यावसायीकरण में राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों से पीछे हैं।⁷² आयोग के अनुसार, परियोजना अनुमोदन में लगने वाला लंबा समय, अनुभवहीन फैकेल्टी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कारणों से राज्य विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान नहीं कर पाते।⁷² 2021-22 में राज्य विश्वविद्यालयों में 40% पीएचडी नामांकन हुए।³

भारत में आरएंडडी में सुधार के लिए, एनईपी (2020) ने स्कूल स्तर पर आलोचनात्मक सोच प्रदान करने का सुझाव दिया।⁵ उच्च शिक्षा में उसने बहु-विषयक शिक्षा और शिक्षा एवं उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने का सुझाव दिया।⁵

एनईपी के सुझावों के अनुसार, संसद ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) बिल, 2023 पारित किया।⁷³ एनआरएफ का एक उद्देश्य प्रौद्योगिकी और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में एचईआई में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है।⁷³

यूजीसी (2023) ने यूनिवर्सिटी-इंडस्ट्री लिंकेज के माध्यम से देश में आरएंडडी को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।⁷⁴ इसके अतिरिक्त उसने स्नातक पाठ्यक्रमों में रिसर्च इंटरनशिप पर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।⁷⁵

अनुलग्नक**तालिका 7: 2023-24 में स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात (% में)**

राज्य	प्राथमिक (1 से 8)	माध्यमिक (9-10)	उच्च माध्यमिक (11-12)	राज्य	प्राथमिक (1 से 8)	माध्यमिक (9-10)	उच्च माध्यमिक (11-12)
आंध्र प्रदेश	99	96	65	मणिपुर	118	76	56
अरुणाचल प्रदेश	104	68	46	मेघालय	153	85	40
असम	104	77	38	मिजोरम	136	98	53
बिहार	78	46	30	नगालैंड	85	60	40
छत्तीसगढ़	90	76	52	ओड़िशा	96	82	59
दिल्ली	108	103	83	पुद्दूचेरी	99	100	91
गोवा	119	108	92	पंजाब	106	92	79
गुजरात	85	74	44	राजस्थान	94	80	62
हरियाणा	95	90	66	सिक्किम	90	74	57
हिमाचल प्रदेश	105	100	82	तमिलनाडु	98	98	83
जम्मू एवं कश्मीर	98	65	43	तेलंगाना	111	97	72
झारखंड	89	62	41	त्रिपुरा	111	79	57
कर्नाटक	106	101	59	उत्तर प्रदेश	81	64	53
केरल	97	99	88	उत्तराखंड	110	93	78
मध्य प्रदेश	80	67	44	पश्चिम बंगाल	107	101	66
महाराष्ट्र	101	93	69	अखिल भारतीय	92	77	56

स्रोत: संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, 2023-24; पीआरएस।

तालिका 8: कक्षा एक में पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाले विद्यार्थियों का हिस्सा (% में)

राज्य	% हिस्सा	राज्य	% हिस्सा
आंध्र प्रदेश	94%	मणिपुर	89%
अरुणाचल प्रदेश	82%	मेघालय	97%
असम	88%	मिजोरम	92%
बिहार	60%	नगालैंड	98%
छत्तीसगढ़	84%	ओड़िशा	91%
दिल्ली	64%	पुद्दूचेरी	94%
गोवा	80%	पंजाब	91%
गुजरात	72%	राजस्थान	44%
हरियाणा	70%	सिक्किम	98%
हिमाचल प्रदेश	84%	तमिलनाडु	61%
जम्मू एवं कश्मीर	88%	तेलंगाना	90%
झारखंड	69%	त्रिपुरा	86%
कर्नाटक	86%	उत्तर प्रदेश	59%
केरल	94%	उत्तराखंड	72%
मध्य प्रदेश	82%	पश्चिम बंगाल	82%
महाराष्ट्र	77%	अखिल भारतीय	73%

स्रोत: संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, 2023-24; पीआरएस।

तालिका 9 : 2023-24 में विभिन्न राज्यों में स्कूली शिक्षा में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात

राज्य	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्चतर माध्यमिक (11-12)
आंध्र प्रदेश	22	16	11	29
अरुणाचल प्रदेश	10	7	9	15
असम	19	13	11	18
बिहार	32	19	30	31
छत्तीसगढ़	18	15	14	12
दिल्ली	30	28	18	20
गोवा	25	14	8	16
गुजरात	24	24	27	24
हरियाणा	21	18	10	11
हिमाचल प्रदेश	15	8	6	9
जम्मू एवं कश्मीर	13	9	12	21
झारखंड	26	24	27	47
कर्नाटक	22	18	18	28
केरल	23	19	13	20
मध्य प्रदेश	17	16	18	20
महाराष्ट्र	24	25	20	37
मणिपुर	13	9	9	13
मेघालय	19	12	10	16
मिजोरम	15	7	9	12
नगालैंड	9	7	8	16
ओडिशा	17	15	16	39
पुद्दुचेरी	15	13	9	15
पंजाब	21	15	9	16
राजस्थान	20	12	11	15
सिक्किम	6	6	5	8
तमिलनाडु	20	18	11	33
तेलंगाना	19	12	9	25
त्रिपुरा	17	15	11	15
उत्तर प्रदेश	22	22	23	35
उत्तराखंड	16	14	10	14
पश्चिम बंगाल	23	28	18	28
अखिल भारतीय	21	18	16	24

स्रोत: संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, 2023-24; पीआरएस।

तालिका 10: 2021-22 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (% में)

राज्य	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
	पुरुष	महिला	कुल		
आंध्र प्रदेश	38	35	37	35	34
अरुणाचल प्रदेश	38	35	37	-	40
असम	16	18	17	19	26
बिहार	18	16	17	16	35
दिल्ली	48	50	49	36	-
गोवा	36	36	36	40	28
गुजरात	25	23	24	32	20
हरियाणा	30	37	33	27	-
हिमाचल प्रदेश	37	50	43	34	45
जम्मू एवं कश्मीर	23	27	25	20	19
झारखंड	19	19	19	15	14
कर्नाटक	36	36	36	28	26
केरल	34	49	41	28	29
मध्य प्रदेश	30	28	29	27	18
महाराष्ट्र	37	33	35	36	17
मणिपुर	35	36	35	61	23
मेघालय	23	28	25	110	23
मिजोरम	31	33	32	241	33
नगालैंड	17	21	19	-	19
ओडिशा	24	21	22	23	16
पुद्दुचेरी	61	62	62	43	-
पंजाब	25	30	27	19	-
राजस्थान	29	28	29	27	28
सिक्किम	35	43	39	43	36
तमिलनाडु	47	47	47	39	44
तेलंगाना	39	42	40	39	38
त्रिपुरा	22	20	21	20	16
उत्तर प्रदेश	24	24	24	22	39
उत्तराखंड	40	44	42	32	42
पश्चिम बंगाल	26	27	26	23	15
अखिल भारतीय	28	29	28	26	21

स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22; पीआरएस।

तालिका 11: 2021-22 में उच्च शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात

राज्य	नियमित और दूरस्थ प्रणाली	नियमित प्रणाली	राज्य	नियमित और दूरस्थ प्रणाली	नियमित प्रणाली
आंध्र प्रदेश	18	16	मणिपुर	20	19
अरुणाचल प्रदेश	28	23	मेघालय	24	22
असम	28	25	मिजोरम	21	17
बिहार	69	64	नगालैंड	20	18
छत्तीसगढ़	27	26	ओडिशा	25	23
दिल्ली	49	21	पुद्दुचेरी	13	11
गोवा	17	15	पंजाब	17	15
गुजरात	28	27	राजस्थान	29	26
हरियाणा	26	22	सिक्किम	22	17
हिमाचल प्रदेश	29	24	तमिलनाडु	16	14
जम्मू एवं कश्मीर	35	24	तेलंगाना	16	14
झारखंड	58	54	त्रिपुरा	40	36
कर्नाटक	16	15	उत्तर प्रदेश	36	35
केरल	19	15	उत्तराखंड	27	22
मध्य प्रदेश	31	30	पश्चिम बंगाल	37	29
महाराष्ट्र	27	23	अखिल भारतीय	26	23

स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22; पीआरएस।

तालिका 12: विद्यार्थी वित्तीय सहायता पर व्यय (करोड़ रुपए में)

वर्ष	ब्याज सबसिडी	स्कॉलरशिप	पीएम रिसर्च फेलोशिप	पीएम-यूसपी	कुल
2017-18	1,950	268	-	-	2,218
2018-19	1,575	306	16	-	1,897
2019-20	1,675	369	26	-	2,070
2020-21	1,477	294	63	-	1,834
2021-22	1,385	376	111	-	1,872
2022-23	873	429	300	-	1,603
2023-24	-	-	300	1,098	1,398
2024-25 (संअ)	-	-	282	1,000	1,282
2025-26 (बअ)	-	-	600	1,550	2,160

नोट: संअ संशोधित अनुमान और बअ बजट अनुमान है। स्रोत: 2019-20 से 2025-26 तक केंद्रीय बजट दस्तावेज़; पीआरएस।

¹ Entry No. 25, Seventh Schedule, the Constitution of India, <https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S7.pdf>.

² Unified District Information System for School Education 2023-24, Ministry of Education, https://api.udiseplus.gov.in/udise-fms/api/fileUpload/getDocument/dcf2021/UDISE_Report_2023_24_Existing_Structure.pdf.

³ All India Survey of Higher Education 2021-22, Ministry of Education, <https://aishe.gov.in/aishe/viewDocument.action;jsessionid=E4C7F4ECBC1FAFD795DC097403DF746F.n9?documentId=353>

⁴ Analysis of Budgeted Expenditure on Education 2018-19 and 2020-21, Ministry of Education, 2022, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/budget_exp.pdf.

⁵ "National Education Policy 2020", Ministry of Education, as accessed on May 27, 2024, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.

⁶ Expenditure Budget 2025-26, Ministry of Finance, February 2025, <https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/allsbef.pdf>.

⁷ Report No. 31 of 2022, Comptroller and Auditor General of India, December 21, 2022, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/DSC-Report-No.-31-of-2022_UGFA-English-PDF-A-063a2f3ee1c14a7.01369268.pdf.

- ⁸ “Samagra Shiksha: An integrated scheme for school education”, Ministry of Education, October 12, 2022, https://samagra.education.gov.in/docs/ss_implementation.pdf.
- ⁹ “National Initiative for Proficiency in Reading with and Understanding Numeracy: A National Mission on Foundational Literacy and Numeracy”, Ministry of Education, accessed on May 27, 2024, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nipun_bharat_eng1.pdf.
- ¹⁰ Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) Guidelines, Department of School Education and Literacy, December 21, 2022, <https://pmposhan.education.gov.in/Files/Guidelines/2023/Guidelines%20on%20PM%20POSHAN%20SCHEME.pdf>.
- ¹¹ “PM Schools for Rising India”, Department of School Education and Literacy, <https://dse.education.gov.in/pm-shri-schools>.
- ¹² “PM SHRI schools: Framework on School Transformation – Part 1”, Ministry of Education, accessed on May 27, 2024, https://pmsmri.education.gov.in/assets/pdf/part1_pmsmri.pdf.
- ¹³ Unstarred Question 1781, Ministry Education, Rajya Sabha, December 11, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU1781_nUymrN.pdf?source=pqars.
- ¹⁴ “Human Development Report 2023-24”, United Nations Development Programme, accessed on June 18, 2024, <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>.
- ¹⁵ National Family Health Survey -5, (2019-21), Ministry of Health and Family Welfare, <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR375/FR375.pdf>.
- ¹⁶ “Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls”, July 2018, The World Bank, <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/01a423c9-8a5a-5a4f-bcf3-2983fdb1b215/content>.
- ¹⁷ Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2086/5/a2009-35.pdf>.
- ¹⁸ “What you need to know about early childhood care and education”, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, September 27, 2024, [https://www.unesco.org/en/early-childhood-education/need-know#:~:text=Early%20childhood%20care%20and%20education%20\(ECCE\)%2C%20covering%20the%20period.and%20economic%20productivity%20throughout%20life..](https://www.unesco.org/en/early-childhood-education/need-know#:~:text=Early%20childhood%20care%20and%20education%20(ECCE)%2C%20covering%20the%20period.and%20economic%20productivity%20throughout%20life..)
- ¹⁹ “Report on Unified District Information System for Education Plus UDISE+ 2023-24”, Ministry of Education, https://api.udiseplus.gov.in/udise-fms/api/fileUpload/getDocument/DCF2021/UDISE_Report_2023_24_NEP_Structure.pdf.
- ²⁰ National Curriculum Framework on School Education – 2023, Ministry of Education, September 2023, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ncf_2023.pdf.
- ²¹ “The Working Group on Private Sector Participation including PPP in School Education for the 12th Five Year Plan”, Ministry of Education, October 2011,
- ²² “Number of Schools by School Management and School Category”, UDISE Plus Dashboard, as accessed on January 12, 2025, [UDISE+ Dashboard](https://udiseplus.gov.in).
- ²³ “Household Social Consumption on Education in India”, NSS 75th Round (2017-18)”, Ministry of Statistics and Programme Implementation, https://mosp.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Report_585_75th_round_Education_final_1507_0.pdf.
- ²⁴ Systematic Transformation of School Education: The SATH-E Experience, NITI Aayog, February 20, 2023, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/BCG_SATHE_DIGITAL_13112021_0.pdf.
- ²⁵ Starred Question No. 97, Ministry of Education, Rajya Sabha, July 31, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/265/AS97_BnehX2.pdf?source=pqars.
- ²⁶ “School Consolidation in Rajasthan for Improvement in Enrolment Density and Overall Quality of Education”, Department of Monitoring and Evaluation Office, NITI Aayog, accessed on January 29, 2025, https://dmeo.gov.in/sites/default/files/2021-08/Package3_HRD_CaseStudy1.pdf.
- ²⁷ “Guidelines for Rationalization of Small Schools across States for Better Efficiency - putting on the Website of the Ministry for inviting comments- regarding”, Ministry of Health and Family Welfare, July 7, 2017, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Guidelines%20for%20Rationalization.pdf.
- ²⁸ Unstarred Question 1460, Ministry of Education, Rajya Sabha, August 2, 2023, <https://sansad.in/getFile/annex/260/AU1460.pdf?source=pqars>.
- ²⁹ Report No. 349, Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, Rajya Sabha, March 28, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/167/349_2023_3_16.pdf?source=rajyasabha.
- ³⁰ NCTE (Determination of minimum qualifications for recruitment of teachers in schools) Regulations, 2001, [https://ncte.gov.in/Website/NCTEACT12.aspx#:~:text=Four%20years%20integrated%20B.Sc.Ed.%20or%20an%20equivalent%20course.&text=Master's%20Degree%20in%20the%20relevant,Ed.\)%20or%20its%20equivalent](https://ncte.gov.in/Website/NCTEACT12.aspx#:~:text=Four%20years%20integrated%20B.Sc.Ed.%20or%20an%20equivalent%20course.&text=Master's%20Degree%20in%20the%20relevant,Ed.)%20or%20its%20equivalent).
- ³¹ “No Teacher, No Class – State of the Education Report for India”, UNESCO, 2021, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379115>.
- ³² “Report of the High-Powered Commission on Teacher Education Constituted by the Hon’ble Supreme Court of India”, Ministry of Education, August 2012, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/JVC%20Vol%201.pdf.
- ³³ “Concept Note on Empowering DIETs as Centres of Excellence”, Ministry of Education, July 2023, https://dse.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/Concept_Note_DIET.pdf.
- ³⁴ Unstarred Question No. 523, Ministry of Education, Rajya Sabha, February 7, 2024, <https://sansad.in/cc108102-7f42-44e0-9dcf-ff4520e4154b>.
- ³⁵ NISHTA Report, National Council for Education Research and Training, accessed on February 14, 2025, <https://itpd.ncert.gov.in/mss/nishthadashboard/dashboardprint.php>.
- ³⁶ “National Achievement Survey National Report Card NAS 2021, Class III, V, VIII, & X”, Ministry of Education, <https://nas.gov.in/download-national-report>.
- ³⁷ “Learning Achievement of Students, Class X (Cycle 2), NAS 2018”, Ministry of Human Resources Development, <https://nas.gov.in/assets/front/National-Report-Card-2017.zip>.
- ³⁸ “NIPUN Bharat and the New Education Policy”, Ministry of Women and Child Development, Press Information, Bureau, March 15, 2023, <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1907189>.
- ³⁹ “NIPUN Bharat FLN”, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, accessed on January 7, 2025, <https://dse.education.gov.in/nipun-bharat>.
- ⁴⁰ Unstarred Question No. 2175, Ministry of Education, Lok Sabha, December 9, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU2175_3YwKH1.pdf?source=pqals.

- ⁴¹ Foundational Learning Study 2022, National Council of Education Research and Training, September 2022, https://nipunbharat.education.gov.in/fls/file/Benchmarking_for_ORF_and_Numeracy.pdf/
- ⁴² “India Employment Report 2024: Youth employment, education and skills”, International Labour Organisation, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@sro-new-delhi/documents/publication/wcms_921154.pdf.
- ⁴³ “Report to the Nation 2006-2009”, National Knowledge Commission, March 2009, <https://static1.squarespace.com/static/5356af05e4b095ff0fea9e11/t/539504b4e4b0d85a0d78c51e/1402274996341/NKCreport09+copy.pdf>.
- ⁴⁴ “Education at a glance”2024, Organisation of Economic Co-operation and Development, September 10, 2024, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/09/education-at-a-glance-2024_5ea68448/c00cad36-en.pdf.
- ⁴⁵ Report no. 337, Standing Committee on Education, Women, Children and Youth and Sports, Ministry of Education, Rajya Sabha, March 16, 2022, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/162/337_2022_3_15.pdf?source=rajyasabha.
- ⁴⁶ “Scholarships and Education Loan”, Department of Higher Education, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/scholarships_education_loan.
- ⁴⁷ “PMRF – Guidelines”, Prime Minister Research Fellowship, as accessed on February 13, 2025, <https://www.pmrif.in/guidelines/>
- ⁴⁸ “Pradhan Mantri Ucchar Shiksha Protsahan (Pm-USP) Yojana “, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/pmusp_stu.pdf.
- ⁴⁹ “Cabinet approves PM-Vidyalaxmi scheme to provide financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education”, Ministry of Education, Press Information Bureau, November 6, 2024, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2071134>.
- ⁵⁰ “Criteria and Weightages”, National Assessment and Accreditation Council, as accessed on May 31, 2024, [NAAC - Assessment & Accreditation](https://naac.gov.in/naac/Assessment&Accreditation).
- ⁵¹ “Total Number of Accreditation (Status as on 16/01/2025)”, National Accreditation and Assessment Council, as accessed on February 13, 2025, http://naac.gov.in/images/docs/STATISTICS/Total_Number_of_Accreditations_Status_as_on_16012025.pdf.
- ⁵² Accreditation Statistics, National Assessment and Accreditation Council, accessed on February 13, 2025, <http://naac.gov.in/index.php/en/2-uncategorised/32-accreditation-status>.
- ⁵³ “Expanding Quality Higher Education through States and State Public Universities”, NITI Aayog, February 2025, <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-02/Expanding-Quality-Higher-Education-through-SPUs.pdf>.
- ⁵⁴ All India Survey of Higher Education 2020-21, Ministry of Education, <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s392049debb566ca5782a3045cf300a3c/uploads/2024/02/202402141745337862.pdf>.
- ⁵⁵ Report No. 1 (Compliance Audit Report for the year Ended March 2021), Comptroller Auditor General, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/CHAPTER%20II-0623db7f11f7050.77577112.pdf.
- ⁵⁶ Report No. 348, Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, March 28, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/167/348_2023_3_16.pdf?source=rajyasabha.
- ⁵⁷ “About PM-USHA”, Department of Higher Education, as accessed on February 17, 2025, <https://pmusha.education.gov.in/pm-usha/#/about>.
- ⁵⁸ “Report of The Committee to Advise on Renovation and Rejuvenation of Higher Education”, June 2009, Ministry of Education, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/1970/Yashpal%20Committee%20report.pdf.
- ⁵⁹ Draft Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission Act) Bill, 2018, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/1970/Higher%20Education%20Commission%20Draft%20Bill,%202018.pdf.
- ⁶⁰ Report No. 356, Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, Raja Sabha, September 21, 2023 https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/189/356_2024_6_17.pdf?source=rajyasabha.
- ⁶¹ Annual Report 2022-23, University Grants Commission, https://www.ugc.gov.in/oldpdf/annualreport/AR.2022-23.English_WEB.pdf.
- ⁶² “Labour Force by level of education (in %)”, Gender Data Portal, World Bank, <https://genderdata.worldbank.org/en/indicator/sl-tf-zs?education=Advanced&year=2023&gender=total>.
- ⁶³ “Indian Economy: A Review”, Department of Economic Affairs, January 29, 2024, https://dea.gov.in/sites/default/files/The%20Indian%20Economy%20-%20A%20Review_Jan%202024.pdf.
- ⁶⁴ “Speech of Nirmala Sitharaman, Minister of Finance”, Budget 2024-25, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.
- ⁶⁵ “Guidelines for “Prime Minister’s Internship Scheme - Pilot Project (Financial Year 2024-25)”, Ministry of Corporate Affairs, <https://pminternship.mca.gov.in/guidelines/>.
- ⁶⁶ Unstarred Question No. 215, Ministry of Corporate Affairs, Rajya Sabha, February 4, 2025, https://sansad.in/getFile/annex/267/AU215_f4Gkpn.pdf?source=pqars.
- ⁶⁷ Periodic Labour Force Survey 2023-24 July 2023- June 2024, National Sample Survey Office, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AnnualReport_PLFS2023-24L2.pdf.
- ⁶⁸ National Skill Development Mission: A Framework for Implementation, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, <https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-09/National%20Skill%20Development%20Mission.pdf>.
- ⁶⁹ Occupational Shortage Index – Dashboard, Ministry of Labour and Employment, as accessed on January 30, 2025, <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJZDIIMTtM2YzZi00YzE5LWJmOWItMWEyMGE1YjY2NmliwidCI6ImVmYTIINTA2LTIkYmYtNDU5Yi05ZmFjLWJkN2UxOTk2OTMyOSJ9&pageName=ReportSectione39a90160005803a4c49>.
- ⁷⁰ Research and Development Statistic at a glance 2022-23, Ministry of Science and Technology, <https://dst.gov.in/sites/default/files/R%26D%20Statistics%20at%20a%20Glance%20C%202022-23.pdf>.
- ⁷¹ Chapter 8: Transforming Science and Technology in India, Economic Survey of India 2017-18, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/budget2018-2019/economicsurvey2017-2018/pdf/119-130_Chapter_08_ENGLISH_Vol_01_2017-18.pdf.
- ⁷² “Improving the Culture of Research and Development (R&D) in State Universities and Institutes”, NITI Aayog, 2024, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-06/StateUniRnD_FinalReport-Designedv3%20%281%29.pdf.
- ⁷³ Anusandhan National Research Foundation Act, 2023, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Anusandhan%20National%20Research%20Foundation%20Act,%202023.pdf.
- ⁷⁴ “Guidelines on Sustainable and Vibrant University-Industry Linkage System”, University Grants Commission, January 10, 2024, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4915310_Sustainable-and-Vibrant-University-Industry-Linkage-System.pdf.
- ⁷⁵ Guidelines for Internship/Research Internship for Under Graduate Students, University Grants Commission, 2023, https://www.ugc.gov.in/pdfnews/0063650_Draft-Guidelines-for-Internship-and-Research-Internship-for-Under-Graduate-Students.pdf.

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।